न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 346/2021

1. अनिता पुत्री कृष्णकांत पत्नी नरेन्द्र जाति अग्रवाल महाजन निवासी वार्ड नं0 20, भादरा हाल तिलक रोड, कारवां होस्पीटल, डोम्बीवली ईस्ट, जिला ठाणे(महाराष्ट्र) ।

:– वादीया

व ना म

1. सरला देवी पत्नी स्व. श्री पवन कुमार जाति महाजन निवासी वार्ड नं0 20, भादरा। :– प्रतिवादी

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री कपूरचन्द शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सुरेन्द्र बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 बारानी के मु0 नं0 99 के किला नं0 17 से 24 व मुरबा नं0 100 के किला नं0 1,10,11 व मुरबा नं0 101 के किला नं0 5 से 9, 12 से 15 की 5.0600है0 खातेदारी कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा अर्थात 2.530है0 खातेदारी कृषि भूमि मृतक वसीयतकर्ता पवन कुमार पुत्र राधाकिशन कौम महाजन के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वर्णित वादभूमि में से मृतक वसीयतकर्ता पवन कुमार पुत्र राधाकिशन का नाम कलमजन किया जाकर वादिया अनिता को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। व यदि कृषि भूमि बैंक में रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 1-2-2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 346/2021

1. अनिता पुत्री कृष्णकांत पत्नी नरेन्द्र जाति अग्रवाल महाजन निवासी वार्ड नं0 20, भादरा हाल तिलक रोड, कारवां होस्पीटल, डोंबीवली इस्ट, जिला ठाणे(महाराष्ट्र) ।

:— वादीया

ब ना म

1. सरला देवी पत्नी स्व. श्री पवन कुमार जाति महाजन निवासी वार्ड नं0 20, भादरा। :— प्रतिवादीया

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री कपूरचन्द शर्मा: वादी

वकील श्री सुरेन्द्र बैनीवाल: प्रतिवादी

निर्णय दिनांक : 1-2-2022

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 7 बारानी के मु0 नं0 99 के किला नं0 17 से 24 व मुरबा नं0 100 के किला नं0 1,10,11 व मुरबा नं0 101 के किला नं0 5 से 9, 12 से 15 की 5.0600है0 खातेदारी कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा अर्थात 2.530है0 खातेदारी कृषि भूमि पवन कुमार पुत्र राधाकिशन कौम महाजन के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

खातेदार पवन कुमार पुत्र राधाकिशन ने अपने उपर वर्णित खातेदारी कृषि भूमि है जो उसकी स्वःअर्जित कृषि भूमि है। जिसकी वसीयत दिनांक 02.09.2016 को बरूबरू गवाहान वादिया के पक्ष में पवन ने निष्पादित करवा दी थी। पवन कुमार पुत्र राधाकिशन का देहान्त 05.04.2020 को हो चुका है एवं पवन कुमार की मृत्यु होते ही तुरन्त वादिया पवन कुमार की उपर वर्णित 2.530है0 भूमि की मुताबिक वसीयत खातेदार काश्तकार हो गई। वसीयत पवन कुमार की प्रथम व अन्तिम वसीयत है। उक्त भूमि वादिया के कब्जा काश्त में है। चूंकि मृतक पवन कुमार का एक मात्र वारिस उनकी पत्नी प्रतिवादीया सरला देवी मौजूद है जो वादभूमि का गैर कानूनी ढंग से साज बाज कर अपने नाम नामान्तरण करने पर तुली हुई है जबकि वादभूमि में उसका कोई हक व हिस्सा नहीं है। वादभूमि की खातेदार काश्तकार वादिया है। इस प्रकार वादिया यह घोषणा करवा पाने की कानूनी अधिकारी है।

वादिया एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीकी पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीका जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहती है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादिया ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही वनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादिया एवं प्रतिवादी सं0 1 के द्वारा आपसी सहमती से दावा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा

Scanned with CamScanner

राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली मे साक्ष्य करवाया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीने वाद के तथ्यो को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादीकी पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पडता है। अतः मुताबिक राजीनामाव वाद मे वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

दस्तावेजी साक्ष्य मे सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी 7 बारानी के खाता सं0 14/15 संवत 2074–77, मूल वसीयत, मृत्यु प्रमाण पत्र पवन कुमार पत्रावली मे पेश किये।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण मे वादी ने रोही चक 7 बारानी के राजस्व रिकार्ड मे पवन कुमार के नाम दर्ज भूमि मे अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। खातेदार पवन कुमार पुत्र राधाकिशन ने अपने उपर वर्णित खातेदारी कृषि भूमि है जो उसकी स्वअर्जित कृषि भूमि है। जिसकी वसीयत दिनाक 02.09.2016 को बरुबरू गवाहान वादिया के पक्ष मे पवन ने निष्पादित करवा दी थी। पवन कुमार पुत्र राधाकिशन का देहान्त 05.04.2020 को हो चुका है एव पवन कुमार की मृत्यु होते ही तुरन्त वादिया पवन कुमार की उपर वर्णित 2.530है0 भूमि की मुताबिक वसीयत खातेदार काश्तकार हो गई। वसीयत पवन कुमार की प्रथम व अन्तिम वसीयत है। उक्त भूमि वादिया के कब्जा काश्त मे है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा आशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 बारानी के मु0 नं0 99 के किला नं0 17 से 24 व मुरबा नं0 100 के किला नं0 1,10,11 व मुरबा नं0 101 के किला नं0 5 से 9, 12 से 15 की 5.0600है0 खातेदारी कृषि भूमि मे से 1/2 हिस्सा अर्थात 2.530है0 खातेदारी कृषि भूमि मृतक वसीयतकर्ता पवन कुमार पुत्र राधाकिशन कौम महाजन के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। उक्त वर्णित वादभूमि मे से मृतक वसीयतकर्ता पवन कुमार पुत्र राधाकिशन का नाम कलमजद किया जाकर वादिया अनिता को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरावतानुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करें। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। जारी हो।

निर्णय आज दिनाक 1-2-2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(अनुराधा चौधरी) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़